इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 119 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–1 / F.A.R/2014–15 दिनांक 27/7/2015
01

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर Revise समूह आवास मानचित्र (With F.A.R) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शशांक अग्रवाल, डायरेक्टर, सगम स्ट्रक्चरल लिमिटेड द्वारा बंगला नं0–11/18 स्टैनली रोड नजूल फ्री होल्ड साईट नं0–125 (पार्ट) सिविल स्टेशन इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत Revise समूह आवास (With F.A.R) भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति / निर्गमन आदेश दिनांक 21–07–2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है –

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
5. सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचेन, बाथरूम में अनिवार्य रूप से किया जाय।
6. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
7. राष्ट्रहित में ऊर्जा के संरक्षण हेतु परिसर में स्ट्रीट लाईट एवं कॉमन स्पेस को सोलर पैनल द्वारा प्रज्जवलित किये जाने की अपेक्षा है।
8. उप निदेशक अग्नि शमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2015 / 6644 / इला0 / इलाहाबाद / 91 / डी.डी. दिनांक 03.04.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
9. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 683 / STCE/15 दिनांक 24.04.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न)।
10. संशोधित समूह आवास मानचित्र पूर्व स्वीकृत 98 अफोर्डेबुल आवास इकाई के अतिरिक्त 50 आवासीय इकाई के निर्माण की अनुमति हेतु है, इस प्रकार सन्दर्भित प्रोजेक्ट में कुल 148 आवासीय इकाई एवं सुविधा जनक दुकानें, कम्युनिटी हॉल के निर्माण की अनुमति हेतु है।
11. शेष नियम एवं शर्तें पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–119 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–1 / 2013–14 दिनांक 02.01.2014 के अनुरूप मान्य होंगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

27/7/15

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी